निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 155/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गोवर्धन पुत्र लादू जाति बलाई निवासी बासडी जोगियान, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर ।
2. सोनी देवी पुत्री लादू पत्नी नन्दा
3. राजकुमार पुत्र कजोड
4. महेन्द्र पुत्र कजोड
5. दुर्गा देवी पत्नी श्योजी
6. ओम प्रकाश उर्फ बबूल पुत्र श्योजी
7. सीता पुत्री श्योजी
8. सुमित्रा पुत्री श्योजी
9. सुमन पुत्री श्योजी

समस्त जाति बलाई निवासी, बासडी जोगियान, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2016 नया 200/2023 ब उनवानी गोवर्धन बनाम सोनी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कन्हैया लाल बलाई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 9 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.03.2025.

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 56/2016 नया 200/2023 ब उनवानी गोवर्धन बनाम सोनी व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल बलाई ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 08.01.2025 को पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते साक्ष्य हेतु नियत थी जिसमे प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी वकील ने जबाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.01.2025 मुकर्रर की गई। प्रतिवादी द्वारा पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। प्रतिवादी ने मुकदमें में देरी करने के आशय से साक्ष्य के स्तर पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर दिया जबकि मुकदमा कई वर्षो से विचाराधीन है जिसमें वाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णय पारित होना है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब तक विवाद बिन्दू का पक्षकारों की साक्ष्य से मैरिट्स पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक विवाद की स्थिति पक्षकारों में बनी रहती है । इस विधिक बिन्दू को समझे बिना ही प्रतिवादी ने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर तकनीकि आधारों पर ही वादी का वाद खारिज करवाने हेतु सांठ गांठ कर ली है एवं पीठासीन अधिकारी भी प्रतिवादी के प्रभाव व प्रलोभन में है। प्रार्थी अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज हो चुका है प्रकरण को बाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णित किया जाना है, परन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी अधिवक्ता की कोई बात नहीं मानी और कहा कि प्रार्थना पत्र से ही पत्रावली का डिस्पोजल हो जायेगा तो ऐसी स्थिति में पत्रावली में साक्ष्य एवं गुणावगुण पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हम पर सरकार द्वारा डिस्पोजल को लेकर काफी दबाव है। मुकदमा पुराना है, इसलिए मैं मेरे स्तर पर ही पत्रावली देख लूंगा एवं पत्रावली को चैम्बर में रख कर आगामी पेशी दिनांक 05.02.2025 मौखिक रूप से बतादी गई, परन्तु पत्रावली को लिपिक के पास कार्यालय में आदेशिका अंकित कर नहीं भेजी गई है जिससे प्रार्थी को अन्देशा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कोई निर्णत पारित नहीं कर अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने के आशय से प्रार्थी को बाद खारिज करने पर आमादा है। उपरोक्त तथ्यों के अलावा प्रकरणों में वर्णित आदेशिका से जाहिर हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी डे टू डे सुनवाई कर रहे है तथा प्रार्थी को सुमुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर रहे है जिससे प्रार्थी को अन्देशा है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के राजनैतिक प्रभाव में है तथा वास्तविक न्याय निर्णय करने में असमर्थ है। इसलिए विचाराधीन पत्रावली को प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों की पालना में अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे, ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय हो तथा न्यायालय की गरीमा बनी रहे। उपरोक्त अनुसार साफ जहिर हो गया है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 से 9 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **24.03.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर